न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0 प्र0

प्रकरण क्रमांक / 2005 निगरानी R.573-II/05

1. नत्थूसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह जाति रघुवंशी, निवासी ग्राम खेजड़ा, तेहसील नटेरन , जिला विदिशा म0 प्र0

2. प्रेमसिंह पुत्र श्री काशीराम जाति रघुवंशी निवासी ग्राम खेजड़ा, तेहसील नटेरन, जिला विदिशा म0प्र0 ------ प्रार्थीगण

वनाम

प्रेमबाई पुत्री बटटू रावत निवासी ग्राम खेजड़ा-तिला, तेहसील नटेरन जिला विदिशा म0प्र0 ---------- प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 22/1/2005, प्रकरण क्रमांक 82/ आर/ 2002-2003 , न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल, संभाग भोपाल उन्वान नत्थूसिंह व अन्य वनाम प्रेमबाई

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, प्रार्थीगण ने अपर कलेक्टर विदिशा के आदेश दिनांक 20-8-2002 के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त भोपाल के समक्ष की थी कि, ग्राम खेजड़ा-तिला की भूमि नम्बर 47 जिसका हाल नम्बर 58 रकबा 3-867 हे0 आवेदकगण की पैतृक है, जमीदारी समय से आवेदकगण के खाते में दर्ज थी, गल्ती से वह जालम रावत के नाम लिख गई ,जो राजस्व न्यायालय के आदेश से आवेदकगण के नाम लिखी गई । प्रेमबाई ने सन 1996-97 में धारा 170 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी लासौदा के यहाँ आवेदन दिया । उन्होंने प्रेमबाई को आदिवासी जनजाति का मानकर कब्जा भूमि वापिसी व नामान्तरण का आदेश दिया ।

श्री सुशील गोस्वामी अधि0 द्वारा दिनांक 27/4/05 को प्रस्तुत।

सुशील गोस्वामी
एड.

(83)

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी/573--दो/2005 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
14-12-15	यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण क्रमांक 82/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-01-2005 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो में वर्णित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर एंव अनावेदक के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि जब अपर कलेक्टर विदिशा व्दारा प्रकरण क्रमांक 12/97-98 अपील में आदेश दिनांक 20-8-2002 पारित किया गया, उसके वाद आवेदक नत्थूसिंह (अब मृतक) बीमार हो गया जो दिनांक 15-10-2002 से दिनांक 1-4-2003 तक बीमार रहा। हालॉकि चिकित्सक ने दिनांक 1-4-2003 को उसे चलने फिरने लायक करार दे दिया, किन्तु वास्तविक रूप चार माह तक नत्थूसिंह बीमार रहने से शारीरिक स्थिति से कमजोर होकर टूट चुका था तथा 1-4-2003 के वाद भी वह पूर्णरूपेण स्वस्थ्य नहीं था। नत्थूसिंह की गंभीर बीमारी एंव कमजोरी के कारण आवेदक प्रेमसिंह उसकी सेवा में लगा रहा जिसके कारण वह अंचलीय क्षेत्र स्थित ग्राम खेजड़ा तहसील नटेरन से विदिशा समय पर नहीं आ सके एंव अपर आयुक्त के समक्ष समय पर अपील नहीं कर सके। जब अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक	

5–4–2003 को अपील की गई, अपर आयुक्त ने अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में दिये गये विवरण पर विश्वास नहीं किया एंव मात्र 5 माह के विलम्ब को क्षमा न करने में भूल की है क्योंकि अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध कमिश्नर को अपील करने हेतु तत्समय निर्धारित अवधि 3 माह थी इस प्रकार मात्र 2 माह कुछ दिन का विलम्ब सदभावना पर आधारित होने के वाद भी क्षमा नहीं किया गया है एंव आवेदकगण को न्याय से बंचित किया गया है। अनावेदकगण के अभिभाषक ने इसका विरोध कर अपर आयुक्त के विलम्ब वावत् लिये गये निर्णय को सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदकगण ने अपर आयुक्त के समक्ष अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके पुष्टिकरण में चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। जहां तक अपर आयुक्त के निष्कर्ष में चिकित्सा परिचर्या के पर्चे प्रस्तुत न किये जाने का प्रश्न है ? अपर आयुक्त का इस प्रकार का निर्णय उचित नहीं ठहराया जा सकता। वैसे भी अपर कलेक्टर की आर्डरशीट दिनांक 27–6–2001 के अवलोकन पर पाया गया कि इस दिन लेखी बहस के आधार पर प्रकरण आदेश हेतु दिनांक 20–7–2001 को नियत किया गया, किन्तु आदेश की तिथि किसी भी पक्षकार को टीप नहीं कराई गई। पेशी 20–7–2001 को आदेश पारित नहीं हुआ , उसके वाद निरन्तर 4–9–2001, 19–11–2001, 19–12–2001, 21–2–2002, 15–4–2002, 21–5–2002, 4–7–2002, 20–8–2002 तिथियॉ आदेश हेतु नियत की गई , इनमें से कोई भी तिथि किसी

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी/573–दो/2005

जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
	भी पक्षकार को टीप नहीं कराई गई एंव 20–8–2002 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया और यह आदेश आवेदकगण पर सॅसूचित भी नहीं किया गया, जबकि आवेदक न्यायालय में न आ पाने का कारण चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बीमार होना बता रहे हैं। 1. भू राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 – धारा–47 आदेश की कोई सॅसूचना नहीं दी गई – आदेश की जानकारी होने के दिनांक से परसीमा की गणना की जायेगी। 2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा–47–परिसीमा अधिनियम, 1965 – धारा–5 – निगरानी में विलम्ब क्षमा किया गया – मामला अधीनस्थ न्यायालय को गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषण होगा। अतएव पाया गया कि अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन को स्वीकार न करने में भूल है। 5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 82/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–01–2005 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अपर आयुक्त, भोपाल संभाग की ओर हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करने हेतु वापिस किया जाता है। (एम0के0सिंह) सदस्य राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर	